

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० - 19/2024

अनवान : -

1. ओमप्रकाश पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण निवारी शेरपुरा तहसील भादरा।

:—प्रार्थी

बनाम्

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—अप्रार्थी



प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 136 लैंडरैवेन्यु एक्ट  
उपस्थिति :- श्री सुभाषचन्द्र शर्मा प्रार्थी  
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 16 एएमएस के खाता सं० 95/152 के मु० न० 55, 56 कुल 7.3370 है० बारानी मय रास्ता खातेदारी में प्रकाश पुत्र बिहारीलाल के नाम से 1/30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र बिहारीलाल के स्थान पर अशुद्ध नाम प्रकाश पुत्र बिहारीलाल दर्ज है,

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र बिहारीलाल दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 16 एएमएस के खाता सं० 95/152 के मु० न० 55, 56 कुल 7.3370 है० बारानी मय रास्ता खातेदारी में प्रकाश पुत्र बिहारीलाल के नाम से 1/30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम ओमप्रकाश पुत्र बिहारीलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम प्रकाश पुत्र बिहारीलाल दर्ज है, अतः प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र बिहारीलाल के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र बिहारीलाल दर्ज किया जावे ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।



हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा ग्राम पंचायत सरपंच रिपोर्ट व तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

*Calpr*  
न्यायाधीश (राजस्व),  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रवीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वे रोही गीजा चक 16 एएमएस के खाता सं० 152 के मु० न० 55, 56 कुल 73370 है० बाराणी मय सरता खातेदारी में प्रकाश पुत्र बिहारीलाल के नाम से 1/30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम ओमप्रकाश पुत्र बिहारीलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम प्रकाश पुत्र बिहारीलाल दर्ज है उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र बिहारीलाल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र बिहारीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि प्रकाश पुत्र बिहारीलाल के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम प्रकाश पुत्र बिहारीलाल ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 13/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में हुनाया गया।



(कल्पिता शिवरान)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (पाजर्स)  
भादशा जिला, इन्दौर